

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 163/2013
संस्थित दिनांक- 10.04.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

रमेश पिता पीड़िया भीलाला,
आयु-38 वर्ष, व्यवसाय-खेती,
निवासी-ग्राम मोहीपुरा,
जिला बड़वानी

.....आरोपी

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 18/01/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 48/13 के आधार पर दिनांक 06.03.13 को रात्रि 12:30 बजे छापरी फाटा, प्रकाश ढाबे पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी प्लेन शराब 55 क्वाटर, मसाला शराब के 20 क्वाटर, अंग्रेजी शराब ए.सी. व्हीस्की के 4 नग, बाम्बे व्हीस्की क्वाटर 9 नग, बाम्बे टेंगो क्वाटर 4 नग, नाईट रीडर क्वाटर 2 नग एवं बोनी व्हीस्की क्वाटर 1 नग तथा नगदी 500 रुपये रखने के लिये आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34(1)(क) के अंतर्गत अभियोग है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.13 को रात्रि 12:30 बजे थाना अंजड़ के स.उ.नि. आर.ए. यादव को कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि छापरी फाटे पर स्थित प्रकाश ढाबे में आरोपी रमेश पिता पीड़िया निवासी मोहीपुरा अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहा है, सूचना पर विश्वास कर वह वाहन चालक देवेन्द्र एवं आरक्षक निलेश को साथ लेकर छापरी फाटा प्रकाश ढाबा पर पहुँचा, वहां काउंटर पर आरोपी शराब का विक्रय कर रहा था और उसके आधिपत्य में देशी प्लेन शराब 55 क्वाटर, मसाला शराब के 20 क्वाटर, अंग्रेजी शराब ए.सी. व्हीस्की के 4 नग, बाम्बे व्हीस्की क्वाटर 9 नग, बाम्बे टेंगो क्वाटर 4 नग, नाईट रीडर क्वाटर 2 नग एवं बोनी व्हीस्की क्वाटर 1 नग मिले थे, जिसके विक्रय का कोई लायसेंस नहीं था, अतः आरोपी से शराब एवं

नकद रुपये 500/- जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं थाने लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/13 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34(1)(क) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.03.13 को रात्रि 12:30 बजे छापरी फाटा प्रकाश ढाबे में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में उक्त शराब देशी प्लेन शराब 55 क्वाटर, मसाला शराब के 20 क्वाटर, अंग्रेजी शराब ए.सी. व्हीस्की के 4 नग, बाम्बे व्हीस्की क्वाटर 9 नग, बाम्बे टेंगो क्वाटर 4 नग, नाईट रीडर क्वाटर 2 नग एवं बोनी व्हीस्की क्वाटर 1 नग रखे ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी आरक्षक निलेश (अ.सा.1), देवेन्द्र (अ.सा.2), स.उ.नि. रामआसरे यादव (अ.सा.3), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.4) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी रामआसरे यादव (अ.सा. 3) का कथन है कि दिनांक 06.03.13 को वह थाना अंजड़ में स.उ.नि. के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि छापरी फाटे पर स्थित प्रकाश ढाबे में आरोपी अवैध रूप से मदिरा का विक्रय कर रहा है, सूचना पर विश्वास कर वह वाहन चालक देवेन्द्र एवं आरक्षक निलेश को लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, जहाँ पर आरोपी काउंटर पर अंग्रेजी एवं देशी मदिरा के क्वाटर विक्रय करता मिला । साक्षी का कथन है कि आरोपी का नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश पिता पीड़िया निवासी मोहीपुरा होना बताया था । आरोपी के आधिपत्य से देशी प्लेन शराब 55 क्वाटर, मसाला शराब के 20 क्वाटर, अंग्रेजी शराब ए.सी. व्हीस्की के 4 नग, बाम्बे व्हीस्की क्वाटर 4 नग, बाम्बे टेंगो क्वाटर 4 नग, नाईट रीडर क्वाटर 2 नग एवं बोनी व्हीस्की क्वाटर 1 नग तथा 500/-रुपये नकद मिले थे, आरोपी के पास मदिरा विक्रय करने का कोई लायसेंस नहीं था और घटनास्थल पर उक्त शराब अभियुक्त के आधिपत्य प्र.पी.1 के जप्ती पंचनामे द्वारा जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. इस साक्षी ने अभियुक्त के पास से जप्त शराब की पहचान भी आर्टिकल-ए से आर्टिकल-जी के रूप में की है । साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर शराब के साथ थाने लेकर आए थे, जहां अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/13 प्र.पी.4 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने साक्षी निलेश एवं देवेन्द्र के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे एवं जप्तशुदा अवैध मदिरा की जांच आबकारी उपनिरीक्षक अंजड़ से करायी थी ।

9. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि किसी प्रकरण में विवेचना में जाते हैं, तो रवानगी एवं वापसी रोजनामचे में दर्ज की जाती है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उक्त रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि ढाबा किसके नाम का था, इस संबंध में उसने विवेचना नहीं की है और ढाबे के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । साक्षी ने स्वीकार किया कि ढाबे के संचालन में मालिक के अतिरिक्त अन्य तीन-चार व्यक्ति भी काम करते हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ढाबे पर कितने व्यक्ति उस समय काम कर रहे थे, इस संबंध में उसने कोई विवेचना नहीं की है । साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जिस स्थान से वह मदिरा जप्त करना बता रहा है वह रोड़ साईड से है, वहां से कई यात्री बसे निकलती हैं और कई लोग खाना खाने, नाश्ता-पानी करने आते हैं । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्त मदिरा सामान्य रूप से विक्रय के लिये लायसेंस के अधीन विक्रय की जाती है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

10. साक्षी आरक्षक निलेश (अ.सा.1) ने भी साक्षी आर.ए. यादव (अ.सा. 3) के कथनों का समर्थन करते हुए रात्रि गश्त के दौरान श्री आर.ए. यादव द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय की सूचना उसे मुखबिर से प्राप्त होना एवं उसके साथ जाकर प्रकाश ढाबे पर अभियुक्त के आधिपत्य से अवैध मदिरा जप्त करना तथा नकद रुपये 500/- जप्त करने के संबंध में कथन किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 उसके सामने बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि श्री आर.ए. यादव ने उसे सूचना रात्रि 12:00 बजे दी थी तथा वे घटनास्थल पर रात्रि 12:30 पर पहुँच गये थे । साक्षी का कथन है कि आर.ए. यादव ने साक्षी देवेन्द्र को तलब किया था, जो कि थाने के वाहन का चालक था । उक्त मदिरा लगभग 15-20 लीटर होगी । जप्तशुदा मदिरा किस-किस ब्रांड की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि श्री यादव ने उसके सामने उक्त ढाबा किसका है, इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड पर प्रकाश ढाबा लिखा था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उसके सामने कोई शराब जप्त नहीं हुई थी और वह असत्य कथन कर रहा है ।

11. साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.2) ने अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया है । साक्षी ने प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित किये जाने के बाद सूचक-प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह प्रकाश ढाबे पर वाहन लेकर गया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वहां पर अभियुक्त शराब विक्रय कर रहा था एवं आरोपी के आधिपत्य से शराब जप्त की थी । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.3 का कथन देने से भी इन्कार किया है । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के विश्वास पर पंचनामों पर हस्ताक्षर कर दिये थे और हस्ताक्षर किये थे तब दस्तावेज कोरे थे ।

12. साक्षी आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 26.03.13 को आबकारी कार्यालय अंजड़ में थाना अंजड़ द्वारा अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी देशी प्लेन मदिरा के 4 क्वाटर, देशी मसाला मदिरा के 4 पाव, देशी मदिरा व्हीस्की के 4 पाव, टेंगो मदिरा के 4 पाव, जिन मदिरा के 2 पाव, बोरी व्हीस्की का 1 क्वाटर जांच हेतु प्राप्त होने पर उनका परीक्षण सूंघकर, चखकर, लिटमश पेपर डालकर एवं थर्मामीटर, हाईड्रोमीटर से करने के संबंध में कथन किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि जांच करने पर उसने उक्त शराब को देशी प्लेन मदिरा, देशी मसाला और अंग्रेजी मदिरा होना पाया था । साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र.पी. 5 में यह उल्लेख नहीं किया है कि उसने जप्ती चिट हटाकर मदिरा की जांच की थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जिस मदिरा की जांच उसके द्वारा की गयी थी, ऐसी मदिरा शराब दुकानों पर मिलती है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने थाना अंजड़ के अपराध क्र. 48/13 में जप्त शराब की जांच नहीं की थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

13. विद्वान ए.डी.पी.ओ. का तर्क है कि अभियुक्त के पास से उक्त ढाबे से देशी एवं अंग्रेजी मदिरा जप्त किये जाने के संबंध में साक्षी आर.ए. यादव एवं साक्षी निलेश के कथन परस्पर पुष्टिकारक हैं और उनका प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई खंडन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है ।

14. यह सही है कि साक्षी आर.ए. यादव (अ.सा.3) एवं साक्षी निलेश (अ.सा.1) द्वारा अभियुक्त के पास से उक्त शराब प्र.पी.1 के अनुसार जप्त किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये गये हैं, लेकिन इसी पंचनामे के अन्य साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.2) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी निलेश (अ.सा.1) पुलिस का प्रधान आरक्षक है तथा साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.2) पुलिस के वाहन का चालक है, इस प्रकार दोनों साक्षी अभियोजन के हितबद्ध हैं और अभियोजन की ओर से अभियुक्त से उक्त शराब जप्त किये जाने के संबंध में किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किये जाने का कोई भी कारण या स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं बताया गया है । साक्षी आर.ए. यादव (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने रवानगी और वापसी रोजनामचे की कोई प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है, ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर जाने वहां से वापस आने के संबंध में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है । यहां तक कि प्र.पी.4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी रोजनामचे का क्रमांक अंकित नहीं किया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पास से उक्त शराब प्रकाश

ढाबे से जप्त करना बताया गया है, लेकिन उक्त ढाबा अभियुक्त के स्वत्व या आधिपत्य का था अथवा अभियुक्त वहां कर्मचारी के रूप में नियोजित होकर शराब का विक्रय कर रहा था, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य या दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में भी अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्त सदैव शंका का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

15. उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि घटना दिनांक 06.03.13 को स.उ.नि. श्री आर.ए. यादव (अ.सा.3) द्वारा रात्रि 12:30 बजे के लगभग छापरी फाटे पर स्थित प्रकाश ढाबे से अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त शराब देशी प्लेन शराब 55 क्वाटर, मसाला शराब के 20 क्वाटर, अंग्रेजी शराब ए.सी. व्हीस्की के 4 नग, बाम्बे व्हीस्की क्वाटर 4 नग, बाम्बे टेंगो क्वाटर 4 नग, नाईट रीडर क्वाटर 2 नग एवं बोनी व्हीस्की क्वाटर 1 नग तथा 500/-रुपये नकद जप्त किये थे ।

16. अतः यह न्यायालय अभियुक्त रमेश पिता पीड़िया भीलाला, आयु-38 वर्ष, निवासी ग्राम मोहीपुरा जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34(1)(क) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

17. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

18. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

19. प्रकरण में जप्तशुदा शराब मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि नष्ट की जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

20. प्रकरण में किये गये आरोपी परीक्षण में आरोपी द्वारा जप्तशुदा 500/-रुपये उसके होना अस्वीकार किया गया है, अतः प्रकरण में उक्त जप्तशुदा 500/-रुपये राजसात किये जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

